न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 57/2020 (उदयपुर डिक्री)

1. हीरालाल पिता स्वर्गीय सोहनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी चिरवा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. सुन्दरबाई पत्नी स्वर्गीय सोहनलाल, जाति ब्राहमण, निवासी चिरवा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. मोहनलाल पिता रामलाल, जाति ब्राहमण, निवासी चिरवा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. लक्ष्मीलाल पिता रामलाल, जाति ब्राहमण, निवासी चिरवा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. राधेश्याम पिता रामलाल, जाति ब्राहमण, निवासी चिरवा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. जगदीप मुतबन्ना ऊंकार, जाति ब्राहमण, निवासी चिरवा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा प्रकरण संख्या 284/2001 दिनांक 25.05.2010

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री लक्ष्मीलाल जैन अभिभाषक अपीलान्टगण

2. श्री मन्नाराम डांगी अभिभाषक रेस्पो0 सं0 4

3. श्री कमलेश चौहान राजकीय रेस्पोन्डेन्ट सं. 5

---:::---

निर्णय दिनांक 17–01–2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण के पिता/पति श्री सोहनलाल एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चिरवा में खाता संख्या 70 की आराजी नंबर 2101, 2102, 2103, 2105 कुल किता 4 रकबा 0.2000 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 5 का 1/4 हिस्सा है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है एवं इसी अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु अभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

कानूनी रूप से बंटवारा नहीं हुआ है तथा बंटवारे के लिए कहने पर प्रतिवादीगण धमकी देते हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकर किया जाकर उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा एवं काउण्डर क्लेम प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाबुल जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में कुल 3 तनकियां कायम की गयी। तत्पश्चात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामे अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25–05–2010 को राजीनामे अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 13–08–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से वकील श्री मन्नाराम डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपील द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 02–07–2020 को तब हुई जब विपक्षी संख्या 4 द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से की जमीन से कब्जा हटाने हेतु धमकी दी गयी। जानकारी होते ही नकले प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है, जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में अपीलान्ट हीरालाल का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि डिक्री राजीनामे अनुसार जारी की गयी तथा बंटवारा रिपोर्ट दोनों पक्षों की उपस्थिति में तैयार किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

के हस्ताक्षर हैं। अपीलान्ट द्वारा 10 वर्षो से भी अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गयी है, जो बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर डी.एन.जे. 2020 (3) पेज 697 एवं डी.एन.जे. 2020 (3) पेज 773 प्रस्तुत की।

हमने उक्त प्रार्थन पत्र पर उभयपक्षों के अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25–05–2010 के विरूद्ध इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 13–08–2020 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 60 दिवस अर्थात दिनांक 24–07–2010 तक यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करनी थी, किन्तु अपील दिनांक 13–08–2020 को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब 10 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा जो कारण बताये गये हैं वह न तो उचित प्रतीत होते हैं, न ही पर्याप्त कारण है। ऐसी स्थिति में वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर डी.एन.जे. 2020 (3) पेज 697 एवं डी. एन.जे. 2020 (3) पेज 773 की रोशनी में उक्त अपील मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 द्वारा धारा 96 (3) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा वक्त बहस निवेदन किया कि सी.पी.सी. की धारा 96 (3) के प्रावधानों के अनुसार पक्षकारों के मध्य राजीनामे के आधार पारित डिक्री के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। अपीलाधीन प्रारम्भिक डिक्री दोनों पक्षों की सहमति से राजीनामे के आधार पर जारी की गयी है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 2018 पेज 485 प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि प्रारम्भिक डिक्री राजीनामे अनुसार जारी नहीं की गयी है तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 को डिक्री में अधिक भूमि दे दी गयी है। अपीलान्ट की अपील उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 96 (3) सी.पी.सी. से बाधित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। राजीनामे पर अपीलान्ट के पिता सोहन [illegible] हस्ताक्षर हैं, जिसकी तस्दीक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

उनके अधिवक्ता द्वारा की गयी है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने जो राजीनामे के आधार पर डिक्री जारी की है, उसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 2018 पेज 485 की रोशनी में पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 ने अपीलान्ट के पिता के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर उन्हें गुमराह कर राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से राजीनामे पर उनके हस्ताक्षर करवा लिये। ऐसी स्थिति में राजीनामे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है वह त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। राजीनामे पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षरों/अंगूठा निशानी के साथ–साथ अपीलान्ट के पिता सोहनलाल के भी हस्ताक्षर है, जिसकी तस्दीक उनके अधिवक्ता द्वारा की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त राजीनामा कूटरचित अथवा धोखे से किया जाना प्रकट नहीं होता है। अभिभाषक अपीलान्ट ने उक्त राजीनामें को कूटरचित एवं धोखे से किये जाने का कथन किया है, किन्तु इस बाबत् उनकी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामे के आधार पर जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है हम उसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने, पोषणीय नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25–05–2010 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 17–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
[illegible] पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम...............**उदयपुर**............
व इजलास .... **अनीता मीना, आर॰ए॰एस॰** ....

हीरालाल पिता स्वर्गीय सोहनलाल, जाति ब्राहमण, नि. चिरवा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य	बनाम	**मोहनलाल पिता रामलाल ब्राहमण, निवासी चिरवा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं॰........**57/2020**.........व नाराजगी डिगरी अदालत..............**उपखण्ड अधिकारी**
...........**गिर्वा**......... मुकाम................मुवर्खे.............**25**............माह..............**05**............**2010**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**17**...माह........**01**.......सन् **2023** रूबरू........**पक्षकारान**
व हाजरी.......**श्री लक्ष्मीलाल जैन**.......मिनजानिब अपीलान्ट व........**श्री मन्नाराम डांगी**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने, पोषणीय नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25–05–2010 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**17**......माह.......**01**...........**2023**
को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट		रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील				1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा				2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा				3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत				4. मेहनताना वकील...........		
मीजान				मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:13:16 IST
Reason: SelfAttested